OUR PUBLICATIONS

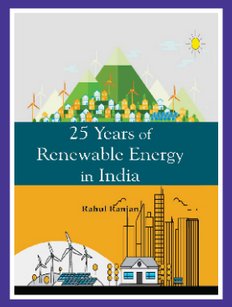

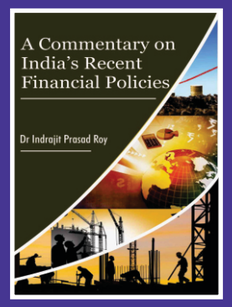

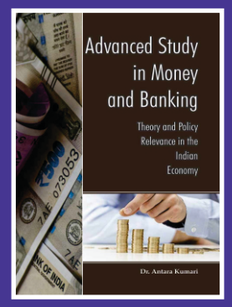

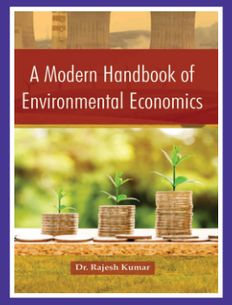

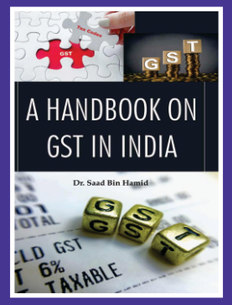

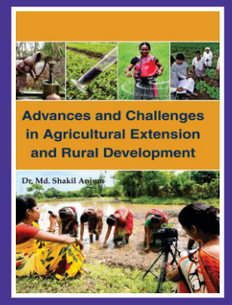

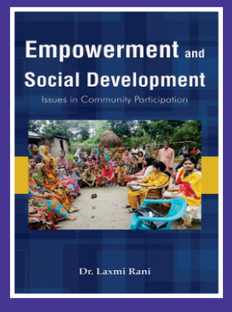

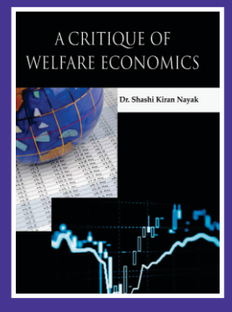

Iobus Press

448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 13 अंक 2 मार्च-अप्रैल 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

प्रो. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 13 अंक : 2 ❑ मार्च-अप्रैल, 2021

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
डॉ. अमर कान्त सिंह
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. विजय प्रताप सिंह
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 40564514, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com

©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

आज कोरोना वायरस, जिसे चीनी या वुहान वायरस भी कहा जा रहा है, ने लगभग पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी के कारण मरने वालों की भारी संख्या के कारण इस वायरस से संक्रमित लोगों में ही नहीं, जो लोग संक्रमित नहीं है, उनमें भी खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, महामारी के सामने बौनी पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड, आईसीयू, वेंटीलेटर का तो अभाव है ही, सामान्य स्वास्थ्य उपकरणों जैसे ऑक्सीजन, दवाइयों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि की भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए हैं, लेकिन वर्तमान त्रासदी के समक्ष वे प्रयास बहुत कम है। कम ज्यादा मात्रा में इसी प्रकार की स्थिति का सामना अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, ब्राजील जैसे देश पहले से ही कर चुके हैं या कर रहें हैं।

भारत में भी इस प्रकार की त्रासदी में लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर मुनाफा कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम सुनते हैं कि दवाइयों, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर आदि के विक्रेता ही नहीं, बल्कि अस्पताल भी मुनाफा कमाने की इस होड़ में शामिल हो चुके हैं। जनता के संकट, इस मुनाफाखोरी के कारण कई गुना बढ़ चुके हैं। इन संकटों से समाधान का एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द इन स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता किया जाए और इलाज हेतु साजो-सामान और दवायों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए।

जहां तक दवाइयों की कमी, उनकी ऊंची कीमतों और उससे ज्यादा मुनाफाखोरी का सवाल है, उसके पीछे देश के व्यापारियों की जमाखोरी से कहीं ज्यादा वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है। पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनों के कारण दवाइयों और यहां तक कि स्वास्थ्य उपकरणों आदि में भी इन कंपनियों का एकाधिकार स्थापित है। इन कानूनों के चलते इन दवाइयों और उपकरणों का उत्पादन कुछ हाथों में ही केंद्रित रहता है, जिससे इनकी ऊंची कीमतें यह कंपनियां वसूलती है। हाल ही में हमने देखा कि रमदेसिविर नाम के टीके की कीमत 3000 रुपए से 5400 रुपए थी जिसे भारत सरकार ने नियंत्रित तो किया, लेकिन उसके साथ ही उसकी भारी कमी भी हो गई। इसके चलते इन इंजेक्शनों की कालाबाजारी हो रही है और मरीजों से इंजेक्शन के लिए 20 हजार से 50 हजार रू. की कीमत वसूली जा रही है। यही हालत अन्य दवाइयों की है, जिसकी भारी कमी और कालाबाजारी चल रही है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियां इन दवाइयों को बनाने में असमर्थ है, लेकिन चूँकि वैश्विक कंपनियों के पास इन दवाइयों का पेटेंट है, वे अपनी मर्जी से अन्य कंपनियों (भारतीय या विदेशी) को लाइसेंस लेकर इन दवाइयों का उत्पादन करवाती है और इस कारण इन दवाइयों की भारी कीमत वसूली जाती है।

क्या है समाधान?

यह सही है कि इन दवाइयों के पेटेंट इन कंपनियों के पास है लेकिन फिर भी भारत सरकार वर्तमान महामारी से निपटने हेतु प्रयास कर न केवल इन दवाइयों के उत्पादन को बढ़ा सकती है, बल्कि कीमतों में भी भारी कमी कर लोगों को राहत दे सकती है। गौरतलब है कि पेटेंट से जुड़ी इस प्रकार की समस्या डब्ल्यूटीओ बनने से पहले नहीं थी। देश में सरकार किसी भी दवाई के उत्पादन हेतु लाइसेंस जारी कर उसके उत्पादन को सुनिश्चित कर सकती थी। इस कारण भारत का दवा उद्योग न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रहा था। 1995 में विश्व व्यापार संगठन के बनने के साथ ही ट्रिप्स (व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार) समझौता लागू हो गया था। इस समझौते में सदस्य देशों पर यह शर्त लगाई गई थी कि वह पेटेंट समेत अपने सभी बौद्धिक संपदा कानूनों को बदलेंगे और उन्हें सख्त बनाएंगे (यानी पेटेंट धारकों कंपनियों के पक्ष में बनाएंगे)। इस समझौते से पहले भी इसका भारी विरोध हुआ था, क्योंकि यह तय था कि इस समझौते के बाद दवाइयां महंगी होगी और जन स्वास्थ्य पर खतरे में पड़ जाएगा।

ऐसे में जागरूक जन संगठनों और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनेताओं के प्रयासों से विश्व व्यापार संगठन और अमीर मुल्कों के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने पेटेंट कानूनों में संशोधन करते हुए जन स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का काफी हद तक निराकरण कर लिया था। हालांकि प्रक्रिया पेटेंट के स्थान पर उत्पाद पेटेंट लागू किया गया और पेटेंट की अवधि भी 14 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन की छूट पुन:पेटेंट की मनाही, अनिवार्य पेटेंट का प्रावधान, अनुमति पूर्व विरोध आदि कुछ ऐसे प्रावधान भारतीय पेटेंट कानून में रखे गए थे, जिससे काफी हद तक जन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो सका। लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिका समेत अन्य देशों की सरकारों ने भारत पर यह दबाव बनाए रखा कि भारत अपने पेटेंट कानूनों में ढील दे और अपने पास उपलब्ध प्रावधानों का न्यूनतम उपयोग करे।

अनिवार्य लाइसेंस

संशोधित भारतीय पेटेंट अधिनियम (1970) के अध्याय 16 और ट्रिप्स प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है। अनिवार्य लाइसेंस से अभिप्राय है सरकार द्वारा जारी लाइसेंस यानी अनुमति जिसके अनुसार किसी उत्पादक को भी पेटेंट धारक की अनुमति के बिना पेटेंट उत्पादन को बनाने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए उपयोग की जाने वाली

दवाइयों यानी रमदेसिविर और अन्य दवाओं के संदर्भ में यदि सरकार अनिवार्य लाइसेंस जारी कर दे तो भारत का कोई भी फार्मा निर्माता सरकार द्वारा निधारित राशि (जो अत्यंत कम होती है) पेटेंट धारक को देकर उन दवाइयों का उत्पादन देश में करके। उनको इस्तेमाल और बेच सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पेटेंट कानून की धारायें 92 और 100 वैक्सीन हेतु अनिवार्य लाइसेंस जारी करने के लिए उपयुक्त है। सरकार स्वेच्छा (सूओमोटो) से 'राष्ट्रीय आपदा' अथवा 'अत्यधिक तात्कालिकता' के मद्देनजर गैर व्यवसायिक सरकारी उपयोग के लिए इन धाराओं का उपयोग करते हुए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकती है।

गौरतलब है कि ये कंपनियां महामारी के बढ़ते प्रकोप से मुनाफा कमाने की फिराक में है और अमेरिका सरीखे देशों की सरकारें इन दवाओं और वैक्सीन की जमाखोरी के माध्यम से विकासशील और गरीब देशों के शोषण की तैयारी कर रही है। हाल ही में भारत में वैक्सीन उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति में अमेरिका सरकार ने अड़ंगा लगाया था और अपने पास जमा की वैक्सीन को भारत समेत दूसरे देशों को भेजने पर रोक लगा दी थी। बाद में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव के कारण उन्हें यह रोक हटानी पड़ी।गिलिर्ड कंपनी द्वारा रमदेसिविर टीके की भारी जमाखोरी के समाचार भी आ रहे हैं। ऐसे में भारत में इन दवाओं और वैक्सीन उत्पादन हेतु अनिवार्य लाइसेंस लागू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

हालांकि भारत सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन में भी ट्रिप्स प्रावधानों में छूट हेतु गुहार लगाई है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों ने उसमें भी अड़ंगा लगा दिया है। ऐसे में सरकार को अपने सार्वभौम अधिकारों का उपयोग करते हुए ये अनिवार्य लाइसेंस तुरंत देने चाहिए, ताकि महामारी से त्रस्त जनता को कंपनियों के शोषण से बचाया जा सके। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बौद्धिक सम्पदा (ट्रिप्स) एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित एक राजनीतिक घोषणा स्वीकृत की गयी जिसमें सरकारों के इस सार्वभौम अधिकार को मान्य किया गया कि किसी भी आपातकाल अथवा अत्यधिक तत्कालिकता की स्थिति में सदस्य देशों को अधिकार है कि वह ट्रिप्स के प्रदत्त बौद्धिक संपदा अधिकारों को दरकिनार करते हुए जन स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। इस घोषणा द्वारा सदस्य देशों को "राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए अनुमति दी गयी है, कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है"। दिनांक 30 अप्रैल 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना से संबंधित दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस लागू करने हेतु सरकार क्यों नहीं सोच रही?

संपादक

इस अंक में

जयशंकर प्रसाद जी का जीवन दर्शन–शशि कपूर; डॉ० अजय मिश्र 1
नागार्जुन के काव्य में सामाजिक वर्ग चेतना का स्वरूप–विनोद कुमार; डॉ० अजय मिश्र 4
हिन्दी साहित्य में गीतों का संवेदना पक्ष–मोहन बैरागी; डॉ० अवनिश अस्थाना 8
प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020–अभिषेक सिंह; डॉ० श्रीप्रकाश मिश्र 13
आधुनिक समाज-दृष्टि और निर्गुण काव्य–हेमंत कुमार 16
'दृश्य से अदृश्य का सफर में व्यक्त मनोवैज्ञानिकता'–प्रो० शर्मिला सक्सेना 19
प्राचीन भारत में दण्ड-व्यवस्था का स्वरूप–कुंवर विक्रम सूर्यवंश 23
मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में चित्रित स्त्री–डॉ. राम किशोर यादव 27
भारत में पंचायती राज व्यवस्था: एक समीक्षात्मक अध्ययन–अरूण कुमार 31
संवेगात्मक परिपक्वता के सन्दर्भ में किशोरावस्था के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपवक्वता का अध्ययन–डॉ० अविनाश पाण्डेय 35
भारतीय शिक्षा में वेदों का महत्व–डॉ० भगवानदास जोशी 40
भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं का योगदान–डॉ. वाय. एम. साळुंके 44
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और महात्मा गांधी–मुकेश चन्द्र 47
भारत में दिव्यांगकता का सामाजिक अध्ययन–डॉ० खोमन लाल साहु; डॉ० अश्वनी महाजन 50
द्विवर्षीय बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रति शिक्षक प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन रायपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में –प्रियंका तिवारी; डॉ० प्रियंका रमेशराव डफरे 55
ओटीटी प्लेटफार्म की विषय वस्तु का उपयोग एवं संतुष्टि- सिरसा शहर के सन्दर्भ में एक अध्ययन–बेअंत सिंह; डॉ० रविंद्र ढिल्लो 57
माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सांवेगिक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन–ज्योति विजय; डॉ० चंद्रकान्त शर्मा 65
साहित्य के बदलते परिदृश्य एवं संस्कृत-रचना; डॉ० उषा नागर 69
चन्द्रप्रकाश जगप्रिय रों कहानी-साहित्य: कथ्य आरो शिल्प–श्वेता भारती 72
फुर्सत, रचनात्मकता और उत्पादन संबंध–डॉ० ज्योति कुमारी 76
हिमाचल की कहानियों में अवसरवादिता और प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार–डॉ० ममता 79
कक्षा-8वीं के गणित पाठ्यपुस्तक का अधिगम प्रतिफल के संदर्भ में अध्ययन–डॉ० ए० के० पोद्दार; सोनम तम्बोली 83
गोपाल कृष्ण शर्मा 'फिरोजपुरी' व्यक्तित्व एवं कृतित्व–पिंकी दहिया 90
पंचायती राज एवं ग्राम विकास–केदार साहु; प्रोफेसर अश्वनी महाजन 93
नारदीय पुराण और पाणिनीय शिक्षा में वेदांग स्वरूप का समीक्षात्मक अध्ययन–कुमुद कुमार पाण्डेय 97
विकास और राष्ट्रीय एकता में युवा समूह की भूमिका–डॉ० जयराम बैरवा 103
विश्वगुरु के रूप में भारत और नई सदी–डॉ० रामलाल शर्मा 106
कोविड-19 के संदर्भ में उच्च शिक्षा की चुनौतिया–डॉ० श्रीमती गीता शुक्ला 108
आधुनिक काल में हिन्दी एवं संस्कृत साहित्य का महत्व–रघुनंदन हजाम 112
हमारे लोकप्रिय गीतकार कवि गिरिजा कुमार माथुर–डॉ० आर० के० पाण्डेय; चोवाराम यदु 115
मिथिलांचल की खास पहचान मखाना–डौली कुमारी; सुदीप कुमार 118
अध्यापक की जिजीविषा एवं अस्मिता की नीलामी का साक्ष्य: दीक्षान्त–डॉ. पूजा शर्मा 123
कवि शिवमंगल सिंह 'सुमन' के काव्य में अभिव्यक्त गाँधीवादी दर्शन–कुशल महंत 126
मुगल काल में पशु-पक्षी चित्रण : अकबर कालीन चित्रकला के विशेष सन्दर्भ में–डॉ० शैलेन्द्र कुमार 129
निराला के काव्य में भारतीय संस्कृति–डॉ० भंवर लाल प्रजापत 132

संदेशकाव्य-परम्परा में 'मेघदूतम्' और 'संदेशरासक' : एक तुलनात्मक विवेचन–नर्मदा 138
तत्त्वार्थसूत्र में वर्णित जैन जीवन शैली द्वारा युगीन समस्याओं के समाधान–विकास जैन 141
भारतीय संस्कृति की रीढ़ जनक की बेटियां–डॉ० सविता डहेरिया 144
हरिसुमन बिष्ट के कथा-साहित्य में चित्रित दलित वर्ग–डॉ० नवीन चन्द्र 147
सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का स्तर: (रीवा के विशेष सन्दर्भ में)
–डॉ० अमरजीत कुमार सिंह; गोकरण प्रसाद कुशवाहा 151
दलित साहित्य और साहित्यिकता–कमल किशोर कण्डावरिया 157
मृदुला सिन्हा के कथा-साहित्य में वर्णित सामाजिक समस्याएँ–डॉ० ब्रह्मदत्त शर्मा; डॉ० सुमेधा शर्मा 159
रामनगर क्षेत्र का व्यापारिक महत्व: एक ऐतिहासिक अध्ययन–कु० सीमा 162
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कपिलधारा कूप योजना का हितग्राहियों के आर्थिक विकास में योगदान का अध्ययन
(सरदारपुर तहसील के विशेष सन्द्रर्भ में)–डॉ. डुंगरसिंह मुजाल्दा 164
स्नातक स्तर पर सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अधिगम शैली प्राथमिकताओं एवं व्यक्तित्व
शीलगुणों का अध्ययन; डॉ० पूर्णिमा नराणियां 174
छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात में असमानता–डॉ० आर०एन० यादव; प्रो. ए. श्रीराम 182
समकालीन लोकतांत्रिक समस्याओं के विभिन्न स्वरूप व समाधान–डॉ० आरती यादव 188
कोशी क्षेत्र में तालाब, चौर और मोईन की उपयोगिता एवं महत्व–डॉ० मो० रफत परवेज 191
अपना मोर्चा उपन्यास में वर्णित छात्र आन्दोलन–सुखबीर कौर 195
मुरिया जनजाति का परम्परागत शिक्षा केन्द्र: घोटुल–डॉ० बन्सो नुरूटी; पुरोहित कुमार सोरी 197
बुद्धकालीन स्त्रियों की राजनीति में भूमिका–डॉ० अजय कुमार सिंह 202
विजय दान देथा के कथा साहित्य में नारी–डॉ० विदुषी आमेटा; भूमिका 204
उच्च शिक्षा में छात्राओं की खेलों में सहभागिता की स्थिति का अध्ययन (छिन्दवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में)
–कु० सायमा सरदेशमुख; डॉ० रवि कुमार 207
नागरिकों को लेकर राष्ट्रीय मुद्दों व नए मीडिया का अध्ययन (गुरूग्राम लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में)–हिमांशु छाबड़ा 211
माध्यमिक स्तर के विकासात्मक शिक्षा में समस्याएँ एवं संभावनाएँ–डॉ० शोभना झा; डॉ० संजीत कुमार साहू; डॉ० राकेश कुमार डेविड 216
आदिवासी जीवन संघर्ष और साहित्य–डॉ० ओम प्रकाश सैनी 219
कारावास की समस्या बनाम पीछे छूटे बच्चे–डॉ० रेखा ओझा 224
कृषि विकास एवं वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ. रतन लाल;
डॉ० विवेक सिंह 229
दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते कदमों के बीच भारत की बदलती-पड़ोस की नीति–हिमांशु यादव 236
असगर वजाहत के उपन्यासों में अभिव्यक्त ''साम्प्रदायिकता''–माया देवी; डॉ० मृदुल जोशी 240
निजता एंव वर्तमान सूचना क्रांति: एक विश्लेषण–रूबीना; डॉ० कैलाश चन्द्र 244
झुग्गी झोपड़ी में निवासरत महिलाओं की समस्या (बिलासपुर शहर के विशेष संदर्भ में)–कु० आरती तिर्की; डॉ० ऋचा यादव 247
आर्यसमाज की हिंदी पत्रकारिता और स्वदेशी जागरण–विरेन्द्र कुमार 251
मौलाना अबुल कलाम आजाद के शैक्षिक विचार–डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय 256
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी आदतों का तुलनात्मक अध्ययन करना–डॉ. विभा मिश्रा 259
अशिक्षा का जनजातीय जीवन पर प्रभाव और उसकी औपन्यासिक अभिव्यक्ति–डॉ० उमेश कुमार पाण्डेय 262
ग्रामीण दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में कल्याणकारी योजनाओं का योगदान–रबिन्द्र कुमार 265
बागेश्वर जनपद के ग्राम पुरड़ा की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन–राखी किशोर 268
मूल्य शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता–डॉ. ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी; बिपिन कुमार 274
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों की शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन–शक्ति सिंह 277
परास्नातक स्तर के नगरीय एंव ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का अध्ययन
–डॉ. प्रेमचन्द्र यादव; शिवाश्रेय यादव 280

बनते-बिगड़ते दाम्पत्य जीवन का दस्तावेज : एक पत्नी के नोट्स–डॉ. संजय भाऊसाहेब दवंगे 284
भावी व सेवारत शिक्षकों के जीवन मूल्य: एक अध्ययन–डॉ० चन्द्रावती जोशी 286
''अहिंसात्मक सत्याग्रह की सफल तकनीक और महात्मा गांधी"–डॉ. भूपेश मणि त्रिपाठी 292
ग्रामीण महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग–अनुराधा शर्मा 295
प्राचीन संस्कृत साहित्य में मूलाधार चक्र का निरूपण–डॉ. दीप्ति वाजपेयी; कु. संजू नागर 299
छत्तीसगढ़ राज्य में रेशम उद्योग का रोजगार में योगदान: एक अध्ययन (कोरबा जिले के विशेष संदर्भ में)–होत्री देवी 302
मस्तिष्क गोलार्द्ध प्रबलता का पुरूष जिमनास्टिक खिलाड़ियों के मध्य वॉल्टिंग टेबल उपकरण पर प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन–डॉ० मिलिन्द भान्देव 307
भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण में परिवर्तन: मकराना शहर, राजस्थान का एक स्थानिक कालिक अध्ययन–निशा चौधरी; डॉ० रश्मि शर्मा 311
प्रेमचंद के कथा-साहित्य में सामाजिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति–डॉ० के० आशा 320
नारी अस्मिता का वैश्विक स्वरूप–मधु गुप्ता 324
मुगल काल में व्यवसायिक शिक्षा (1526-1707)–नेहा सिंह; डॉ० शशि सिंह 329
'रेणु' के नाम बड़ी बहुरिया का पत्र–गायत्री कुमारी 332
लोक साहित्य में अभिव्यक्त लोक संस्कृति (आदी जनजाति के संदर्भ में)–सुश्री उसुम जोडके 335
भारत में महिला कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन: एक सामाजिक और वैधानिक विश्लेषण–फरजीन बानो; प्रो० सबीहा हुसैन 339
पश्चिमी कोशी मैदान और पर्यावरणीय संकट–डॉ० नवनीत 344
खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण से मानव स्वास्थ पर असर–डॉ० प्रतिभा प्रिया 347
मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन में धर्मनिरपेक्षता का वर्तमान में प्रासंगिकता–डॉ० रूबी कुमारी 349
कौटिल्य के शैक्षिक विचार का वर्तमान में प्रासंगिकता–डॉ० सरिता कुमारी 352
महात्मा गाँधी और ग्राम स्वराज की अवधारणा - वर्तमान संदर्भ में–डॉ० शारदा कुमारी 355
बिहारीगंज के स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–श्रिया सुमन; डॉ० कल्पना मिश्रा 358
भारत में संविद सरकार की स्थिति - वर्तमान संदर्भ में–मधु कुमारी 361
बिहार में कृषि का आर्थिक परिदृश्य–ज्योति कुमारी 364
कोरोना काल में बीमा का महत्व–डॉ० प्रवीण कुमारी 367
महिला सशक्तिकरण और आरक्षण - एक अध्ययन–डॉ० स्वाति कुमारी 370
शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं की स्थिति का अध्ययन–धीरज कुमार भारती; डॉ० आर० एन० शर्मा 372
छपरा नगर में साक्षरता का क्षेत्रीय वितरण: एक भौगोलिक अध्ययन–डॉ० संजय कुमार; शैलेन्द्र मालाकार 377
डॉ० शिवप्रसाद सिंह के उपन्यासों में वर्णव्यवस्था के आर्थिक पक्ष का अनुशीलन–डॉ० उर्विजा शर्मा 380
ज्ञानरंजन की कहानियों में मानवीय संवेदनाओं की मौलिकता–अर्जुन यादव 383
मुगल साम्राज्य पर नादिरशाह के आक्रमण के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० मनोज सिंह यादव 386
हस्तकशीदाकारी: संस्कृति एवं परम्पराओं का संवाहक–डॉ० अवधेश मिश्र; अनीता वर्मा 390
एकादश एक रस राष्ट्र रस की कवयित्री सुभद्राकुमारी चौहान–डॉ० संजय कुमार सिंह 392
साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता–सुमन देवी 396
कुमाऊँनी संस्कृति के उल्लेखनीय तत्व–मो० नाजिम; डॉ० सेराज मोहम्मद 399
'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' 'तस्मादित्युत्तरस्य' 'स्वं रूपं शब्दस्याऽशब्दसंज्ञा' च त्रिषु सूत्रेषु विचार:–अंकित मनोड़ी 403
महाभारते वर्णित-राजधर्मस्य अनुशीलनंशान्तिपर्वण: परिप्रेक्ष्ये–डॉ० निवेदिता बैनर्जी 406
बिहार राज्य के ग्रामीण बेरोजगार युवकों को आर्थिक रूप से सबल बनाने में कौशल विकास योजना की भूमिका–मनोज कुमार साह 410
हिन्दी में आंचलिक उपन्यासों की परम्परा–डॉ० चिम्मन 413
भाषिक संवेदना के कवि रघुवीर सहाय–प्रतिभा देवी 416

'मुन्नी मोबाइल' में चित्रित लोकल और ग्लोबल परिदृष्य की उद्देश्यता–डॉ० सचिन मदन जाधव 420
महादेवी वर्मा: स्त्री-मुक्ति का स्वर–जागृति 423
शिव के विविध स्वरूपों का वर्णन–सीलू सिंह 426
कोरोना महामारी और बच्चों की शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में - एक अध्ययन–डॉ० रंजना कुमारी झा 431
उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र का व्यापारिक महत्व का एक ऐतिहासिक अध्ययन: रामनगर के विशेष सन्दर्भ में–डॉ० नीरज रुवाली; कु० सीमा 434
हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में नारी चरित्र–डॉ० रोहित कुमार मिश्र 437
भारतीय सामाजिक सुधार आन्दोलन में ज्योतिवा फुले का योगदान–रितेश कुमार 440
कुंठा का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन–डॉ० यतीन कुमार चौबीसा 444
बाल श्रमिकों का बाल श्रम के प्रति बोध–डॉ० वीरेन्द्र सिंह 448
अन्तर्राष्ट्रीय शांति के अनुरक्षण में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका–सोमेश गुंजन 452
वर्तमान परिदृश्य में श्रीलाल शुक्ल का साहित्यिक यथार्थ–डॉ० प्रमोद कुमार सिंह; कैलाश नाथ यादव 456
दलित चेतना की अवधारणा–संगीता; डॉ० यशवन्त वीरोदय 459
शेक्सपीयर के नाटको का जयशंकर प्रसाद पर प्रभाव–डॉ० मनोज विद्यासागर 464
हिन्दी सिनेमा का बदलता स्वरूप–डॉ० नमिता जैसल 467
प्रेमचन्द की कहानीकला की समीक्षा–डॉ० प्रीति राय 470
हिन्दी के विकास में पं. माधवराव सप्रे का योगदान–डॉ० गौकरण प्रसाद जायसवाल 472
कृष्णा सोबती के उपन्यासों में स्त्री-चेतना–एस कुमार गौर; डॉ० (श्रीमती) बी.एन. जागृत 476
छत्तीसगढ़ी लोकगीत ''पंथी'' में सामाजिक चेतना (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)–मनीष कुमार कुर्रे; डॉ० चन्द्रकुमार जैन 479
प्राचीन भारत मुद्रा की उत्पत्ति, विकास एवं महत्व–पिंकी कुमारी 484
कक्षा 11-वीं के छात्रों की अध्ययन आदत का उनके शैक्षिक उपलब्धि तथा समायोजन के सम्बन्ध में शोध–श्रद्धा श्रीवास; आनंद कश्यप 486
सिनेमा एवं पत्रकारिता का साहित्यिक योगदान–पूजा यादव 489
मथुरा स्थल का सांस्कृतिक अध्ययन: बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में–मनीष कुमार 493
विज्ञानामृतभाष्यदिशा ब्रह्मण: स्वरूपविमर्श:–संदीप उनियाल 498
''बघेली भाषा एवं साहित्य'': एक अनुशीलन–डॉ० बृजेस धर दुबे 501
हाईस्कूल स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में आगमन चिंतन प्रतिमान की प्रभावशीलता का अध्ययन–डॉ० सरोज जैन; विन्देश्वरी प्रसाद सिंह 504
भारत में महिला सशक्तिकरण: मुद्दे एवं चुनौतियाँ–डॉ. गिर्राज प्रसाद बैरवा 509
दलित साहित्य और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद–डॉ० सुषमा गौडियाल 512
श्री आयंगर का योग से स्वास्थ्य लाभ के प्रति दृष्टिकोण–डॉ० प्रियंका शुक्ला 515
छत्तीसगढ़ राज्य में रेशम उद्योग का रोजगार में योगदान: एक अध्ययन (कोरबा जिले के विशेष संदर्भ में)–होत्री देवी 517
राष्ट्रवादी साहित्यकार आचार्य नीरज शास्त्री का हिंदी साहित्य को प्रदेय–डॉ० प्रेमचंद चव्हाण 521
संचार माध्यमों की भाषा–डॉ० रेणु गुप्ता 524
चन्द्रप्रकाश जगप्रिय रों कहानी-साहित्य: कथ्य आरो शिल्प–श्वेता भारती 527
वैज्ञानिक सोच: भारत की तात्कालिक आवश्यकता–डॉ० देवेन्द्र कुमार साहू 530
वर्तमान में ब्रिक्स की प्रासंगिकता–डॉ० मनीष कुमार साव 532
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम -2018 का राजनीतिक विश्लेषण–अमृतेष शुक्ला; राहुल सिंह 534
डॉ० अम्बेडकर के बौद्ध धर्म सम्बन्धी विचार–डॉ० पूरण मल बैरवा; रमेश चन्द 538
शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जीवन शैली का उनकी शैक्षिक समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन –निशा बोहने; प्रोफेसर सिद्धार्थ जैन; डॉ. लखन बोहने 543

स्वयं सहायता समूह (SHG): ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान–नंदिता राय 547
उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की प्रासंगिकता–डॉ. नीरज कुमार सिंह 551
वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ–डॉ० रूपम मिश्रा 554
समकालीन महिला कथा-लेखन में मैत्रेयी पुष्पा की उपलब्धियाँ–डॉ० कंचन यादव 558
सोशल मीडिया से उपजता मानवीय मूल्यों का संक्रातिकाल–प्रो० माला मिश्र 563
लोकमंगल की पत्रकारिता और वर्तमान चुनौतियां–डॉ० राकेश कुमार दुबे 568
ज्ञान युग के संदर्भ में अब्दुल कलाम का शैक्षिक चिंतन–कुमारी प्रिती भारती 571
बिहार राज्य में मधुबनी जिला के अंतर्गत राजनगर ब्लॉक में सन 2021 में अलग अलग कक्षा में विभिन्न श्रेणियों के नामंकित बच्चे का भौगोलिक अध्ययन–जुली कुमारी 574
भारतीय सुरक्षा दृष्टि में भूटान की भू - रणनीतिक स्थिति का महत्व–सतीश कुमार 579
आधुनिक भारत के निर्माण में राजाराम मोहन राय का योगदान–डॉ० प्रियंका सिंह 583
छ0ग0 के कोरबा जिले में कोयला खनन से प्रभावित ग्रामीण समुदाय के समाजिक विकास का अध्ययन–डॉ० ऋचा यादव; सुनील कुमार 587
साहित्य दर्पण में वर्णित काव्य एवं काव्यपुरुष का स्वरूप कि प्रसांगिकता–डॉ० नरेन्द्र कुमार आर्य 593
समकालीन हिन्दी कविता–डॉ० बलराम गुप्ता 596
साठोत्तरी उपन्यासों में वैवाहिक जीवन–प्रो० रमेश के पर्वती 600
किन्नर केन्द्रित प्रमुख हिन्दी उपन्यासों की भाषिक सरंचना–ज्योति; डॉ० वीरेन्द्र सिंह यादव 605
नागार्जुन के कथा-साहित्य में अछूतोद्धार के प्रसंग–डॉ० मनोज कुमार 610
छपरा स्थित डच समाधि स्थल से प्राप्त मध्य कालीन स्थापत्यों का ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सर्वेक्षण–डॉ० श्याम प्रकाश 612
प्रौढ़ व्यक्तियों के दबाव स्तर परप्रेक्षाध्यान के प्रभाव का अध्ययन–डॉ० निर्मला भास्कर; अनिल विश्नोई; डॉ० अशोक भास्कर 617
सरगुजा जिले के उराँव महिलायों तथा बच्चों में कुपोषण एवं स्वास्थ्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन (छ0ग0 राज्य के सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में)–शबाना परवीन; श्रीमती डॉ० रीचा यादव 621
सूचना का अधिकार और सुशासन (भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन)–आदित्य चतुर्वेदी 625
'पीढ़ियाँ' उपन्यास में साम्प्रदायिक अलगावाद और राष्ट्रवाद–संतोष कुमार भारद्वाज 628
छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रशासनिक अध्ययन–डॉ० श्रीमती रीना मजूमदार; डॉ० प्रमोद यादव; बिसनाथ कुमार 632
भारत में किन्नरों की सामाजिक स्थिति–डॉ० नसरीन जान 636
पंचास्तिकाय समयसार : एक अनुशीलन–डॉ० पूजा राठी 638
असमीया ग्रामीण समाज में नामघर का स्थान–डॉ० जिनाक्षी चुतीया 642

असमीया ग्रामीण समाज में नामघर का स्थान

डॉ० जिनाक्षी चुतीया

सहायक अध्यापक, हिन्दी विभाग, बी. एच. कॉलेज, हाउली, बरपेटा, असम

भूमिका:

असम के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन में महापुरुष शंकरदेव द्वारा सृष्ट नामघर का एक विशेष स्थान है। 600 साल बाद भी वर्तमान समय में भी नामघर के प्रति साधारण जनता का श्रद्धा और भक्ति अटूट है। नामघर न केवल वैष्णव धर्म का प्रचार और प्रसार का केंद्र है, बल्कि यह शिक्षा और कला-संस्कृति के चर्चा का भी अग्रणी केंद्र है। असमीया संस्कृति और और समाज के विकास में नामघर का अवदान उल्लेखनीय है। यह असमीया जातीय संस्कृति, खास तौर से ग्रामीण संस्कृति का संग्रहालय भी है। एक ओर नामघर ने समाज को एकता के बंधन से जोड़ रखा है, तो दूसरी ओर कलात्मक चेतना का जागरण और विकास करके जातीय जीवन के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन का इतिहास बहुत पुरानी है। दक्षिण भारत में अलवर संप्रदाय के द्वारा छठी सदी में ही भक्ति आंदोलन का बीज अंकुरित हुआ था। धीरे धीरे यह आंदोलन उत्तर भारत और पूर्व भारत में भी विस्तारित हुआ। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में विभिन्न महान संतों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इन संतों के आदर्श और दृष्टि से ही भक्ति आंदोलन की अनेक शाखाएँ विकसित हुई।

उत्तर-पूर्व भारत में खासकर असम में यह भक्ति आंदोलन महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने शुरू की और नव-वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। बारह वर्ष तक तीर्थयात्रा करते समय शंकरदेव को भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत में चल रहे भक्ति आंदोलन से गंभीर रूप से परिचय हुआ। उनके निजी आध्यात्मिक दर्शन, विरल सांस्कृतिक प्रतिभा और भारतीय भक्ति आंदोलन से प्राप्त अनुभव के सुंदर संगम से असम में भी एक सांस्कृतिक भक्ति आंदोलन का जन्म देने में शंकरदेव समर्थ हुए।

इनके धर्म मार्ग प्रसार का केंद्र था सत्र और नामघर। हर गाँव में नामघर की स्थापना की गई ताकि साधारण जनता को भगवान की आराधना करने के लिए कष्ट न उठाना पड़े। समय के साथ नामघर ग्रामीण समाज का एक अभिन्न अंग बन गया।

अध्ययन का लक्ष एवं उद्देश्य:

श्रीमंत शंकरदेव एक धर्मगुरु होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। वैष्णव धर्म के अन्य प्रचारक की तरह शंकरदेव के समग्र चिंता और कर्म के मूल आधार धर्म था, पर साथ ही ये महान मानववादी समाज संस्कारक और असमीया कला, संस्कृति और शिल्प के भी गुरु थे। जिसे आज हम असमीया संस्कृति कहते हैं, उसका निर्माण शंकरदेव के हाथों से ही हुआ है। उनका भक्ति तथा सांस्कृतिक आंदोलन का केंद्रस्थल है नामघर। अर्थात नामघर भारतीय भक्ति आंदोलन का ही फसल है और नामघर के जरिये ही शंकरदेव के धार्मिक और सांस्कृतिक दर्शन का प्रसार हुआ। नामघर ने असम के ग्रामीण जनता को धर्म भी दिया और सांस्कृतिक कला प्रदर्शन का साधन भी दिया। इसलिए असमीया संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग नामघर ने किस तरह से ग्रामीण समाज को प्रभावित किया, इस दिशापर प्रकाश डालने की कोशिश इस अध्ययन के द्वारा की जाएगी।

नामघर और असमीया संस्कृति:

भारतवर्ष के अन्य धर्म प्रचारक की तरह ही शंकरदेव ने भी मूलरूप से भागवत पुराण से ही नव-वैष्णव धर्म के दर्शन को अपनाया था। उन्होंने 'एक शरण नाम धर्म' का प्रसार किया। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर एक है। एक ही ईश्वर के शरण में खुद को समर्पित करके उनका नाम लेने से ही मोक्ष कि प्राप्ति होगी। इसी नाम धर्म से ही शंकरदेव ने असम के अलग अलग जाति-उपजाति, भाषा और आचार पद्धति को मानने वाले लोगों को एकता के बंधन में बांधकर बृहत्तर असमीया जाति का निर्माण किया। इस धर्म के प्रसार और आचरण के लिए शंकरदेव ने भागवत पुराण में वर्णित कहानियाँ और इन के जरिये दी गयी धर्मोपदेश को भक्तिभाव से श्रवण और कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय माना था। इसलिए इन धर्मोपदेश को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने कई साहित्य रचना की जिसमें बरगीत और नाटक प्रधान हैं। ये नाटक और बरगीत असमीया संस्कृति के पवित्र और प्रधान अंग भी हैं जिनका अनुशीलन और प्रस्तुति बड़े आदर के साथ किया जाता है।शंकरी संस्कृति के ये गीत, नाट और अन्य सुकुमार कलाओं का चर्चा और अनुशीलन नामघर में होता है। ये गीत, नाट और कलाओं के माध्यम से आध्यात्मिकता के साथ साथ जातीय एकता की भावना भी जागृत होती है। इसलिए नामघर से कृषिनिर्भर ग्रामीण समाज को धर्म चर्चा और शिल्पकला के चर्चा का मौका देता है।

असमीया संस्कृति का प्रसार, विस्तार और समृद्धि में शंकरदेव सृष्ट नामघर का अहम भूमिका है। नामघर असमीया समाज के प्रति शंकरदेव का अभिनव वरदान है। दूसरी बार तीर्थयात्रा करके वापस आकर धर्म प्रचार के लिए ही शंकरदेव ने सत्र और नामघर की स्थापना की थी। किन्तु नामघर केवल धर्म-प्रचार का केंद्र मात्र बनकर न रहा। नामघर के माध्यम से ही असमीया संस्कृति का निर्माण और विकास का एक वातावरण प्रस्तुत हुआ और सभी के बीच एक आपसी संबंध भीकायम हुआ।

शंकरदेव समाज में समन्वय की भावना लाना चाहते थे और इसलिए नामघर की स्थापना की। उन्होंने नामघर संगठित करते समय जिस तरह बौद्ध विहार का आधार ग्रहण किया था, ठीक उसी तरह असम के स्थानीय अधिवासियों के सामाजिक गृह जैसे डेकाचांग, मरंग-घर आदि का नक्सा भी ध्यान में रखा था। डेकाचांग मिसिंग जन-गोष्ठी का सामाजिक गृह है जहाँ युवक-युवतियाँ को सामाजिक और नैतिक शिक्षा के साथ सांस्कृतिक अभ्यास भी कराया जाता था। नामघर में भी धर्मीय रीति-नीति, आचार-व्यवहार, सामाजिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक क्रिया-कलाप आदि की शिक्षा दी जाती थी।

नामघर का बनावट और नामघर का प्रबंधनः

असम के हिन्दू समाज में कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ नामघर नहीं है। सामान्य रूप से नामघर में चार प्रकार के संरचना देखा जाता है- मणिकूट या गर्भ-गृह, नामघर या कीर्तनघर,छों घर और बाट- चोरा या द्वार-गृह। किन्तु आर्थिक रूप से पिछड़े गाँव में सिर्फ नामघर या कीर्तनघर का निर्माण करके ही धार्मिक तथा सामाजिक कार्य सम्पन्न किया जाता है। कीर्तनघर या नामघरपूरब-पश्चिमसरेखण में निर्माण होता है। नामघर के सबसे पूरब में मणिकुट या गर्भगृह होता है। मणिकुट के अंदर आसन स्थापन करके महापुरुष शंकरदेव या महापुरुष माधवदेव द्वारा रचित चार प्रमुख ग्रन्थों में से एक पवित्र ग्रंथ को इस आसन में रखा जाता है। ये चार पवित्र ग्रंथ हैं- कीर्तन, दशम, नाम-घोषा और रत्नावली। आसन तीन से सात मंजिल का होता है। इस आसन के समक्ष बंती जलाने का आध ार, शराइ आदि रखा जाता है। नामघर के सबसे पश्चिम छोर में छों-घर निर्माण किया जाता है। बाट-चोरा प्रवेशद्वार में बनाया जाता है।

सामान्य रूप से नामघर का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध बांस,बेंत, काठ,सुखी घास से होता है। सम्पन्न गावों में टिन और पक्की इमारत भी बनने लगा है। मणिकुट का निर्माण में सर्वभारतीय मंदिर में देखा गया निर्माण-शैली देखा जाता है। आजकल के नामघर निर्माण में आधुनिक कौशल दिखाई देता है।

कीर्तनघर या नामघर ही इस नामघर अनुष्ठान का मुख्य अंग है। गाँव के जनसंख्या के हिसाब से नामघर का आकार बड़ा या छोटा होता है। नामघर में तीन, पाँच, सात, इस तरह से अयुग्म संख्या की कुठरी होती हैं। इन कुठरियों के दीवार नहीं होते हैं। सिर्फ बाहरी दीवार या चारदीवारी होता है। नामघर में चार पंक्तियां स्तम्भ होते हैं।जिन नामघरों के मणिकुट नहीं होता है, पूरब दिशा के पहली कुठरी को ही मणिकुट की तरह व्यवहार किया जाता है।सबसे बीच के कुठरी में भक्तगण नाम-कीर्तन करने के लिए व्यवहार करते हैं। नामघर को सभी दिशाओं से आध्यात्मिक और भव्य भवन के रूप में सजाने के अलावा इसकी सौंदर्यवर्धन पर भी ध्यान दिया जाता है। नामघर के मूल आसन के सामने नैवेद्य, उपकरण आदि सजाने के लिए पीतल के बड़े बड़े शराइ,थाली आदि रखे जाते हैं। साथ ही पवित्र वाद्ययंत्र जैसे डबा, घंटा, कांह आदि भी नामघर में रखा जाता है। नामघर इन चीजों का दान करना पुण्य और गर्व की बात मानी जाती है।

नामघर की स्थापना के बाद इसे संचालन करने का दायित्व शंकरदेव ने गाँव के भक्तों के ऊपर ही सौंपा। वक्त के साथ नामघर संचालन के लिए अलग अलग पद जैसे, सातोला,देउरी, बिलनीया,पाठक, पाचनी, आदि केसृष्टि हुए। नामघर में प्रस्तुत होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालन करने के लिए भी गायन, बायन, सूत्रधार, आदि पद गाँव के ही योग्य व्यक्तियों को दिया जाने लगा। नामघर प्रबंधन में खर्च होने वाली धनराशि गाँव के साधारण जनताओं के चंदा और दान से ही इकट्ठा होती है।

ग्राम्य संस्कृति में नामघर का महत्वः

जब शंकरदेव ने नाम-धर्म का प्रचार आरंभ किया था, उस समय समाज में ऊंच-नीच, जातिवाद, भेद-भाव व्यापक रूप से फैला हुआ था। ब्राह्मण्यवाद के चलते साधारण जनता धर्माचरण में बाधा मिलता था। सभी धर्म-ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित थी और धर्म का ज्ञान भी संस्कृत भाषा में दिया जाता था। अनपढ़ साधारण जनता इसलिए धर्म और भक्ति मार्ग से कोशों दूर थी। ईश्वर और साधारण जनता के बीच दूरी को मिटाने के लिए उन्होंने नामघर की स्थापना की। नामघर का द्वार सभी के लिए खुला था। शंकरदेव ने भागवत आदि पवित्र ग्रन्थों को असमीया भाषा में अनुवाद किया और जो भाषा और शैली ग्रामीण जनताओं के समझ में आए,उसी शैली में धर्मोपदेश को जनता में प्रचारित किया। नामघर को उन्होंने इस इस कार्य के लिए माध्यम बनाया। नामघर के मणिकुट में कोई मूर्ति नहीं होता है, यहाँ धर्म-ग्रंथ को आसन में रखा जाता है। काव्य, गीत, कीर्तन और नाटक के माध्यम से ग्रामीण जनताओं को शंकरदेव ने ध र्म का ज्ञान और भक्ति रस का स्वाद दिया। जनता को भी उपासना और मनोरंजन के लिए एक स्थान मिला। नामघर के द्वारा ग्रामीण जनता ईश्वर और परमात्मा के करीब आ गए।

शंकरदेव द्वारा सृष्ट नामघर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, यह नृत्य-गीत, अभिनय, आदि के चर्चा का सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह ग्रामीण जनता का विचारालय भी है। शंकरदेव ने उनके समय के विभिन्न जाति और जनजाति में व्याप्त भेद-भाव को हटाकर एक शरण नाम धर्म के जरिये समाज के हर स्तर के व्यक्तियों को एकता के डोर से बांधने में सक्षम हुए। समाज में प्रचलित वैषम्य, भेद-भाव, अप्रीति आदि दूर करके नामघर में सभी जाति, धर्म, वर्ण के लोगों को प्रवेशाधिकार प्रदान किया गया था। शंकरदेव के प्रमुख शिष्यों में गारो जन-गोष्ठी के गोविंद, मिसिंग जन-गोष्ठी के परमानंद,नगा जनजाति के नरोत्तम,कछारी के रमाइ, बनिया के हरि दास,यवन के चाँद खाँ, ब्राह्मण के राम राम गुरु, दामोदर देव, हरि देव, आदि थे जिन्हे समान आसन और मर्यादा मिलता

था। नामघर के जरिये उन्होंने आध्यात्मिक संस्कृति का नींव रखा था इसी संस्कृति ने एक सबल और स्वस्थ असमीया जाति के निर्माण में नव-जागरण लाया था। शंकरदेव ने नामघर के पाठक, बायन, गायन, सूत्रधार, अभिनेता आदि पदों के लिए समाज के तथाकथित मर्यादासम्पन्न लोगों का चयन न करके योग्यता के आधार पर चयन किया। जातिगत मर्यादबोध को उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया था। नामघर में कोई मुखियाल या मुख्य पुजारी नहीं होता है। एक नामघरीया होता है जो नामघर की साफ-सफाई और दीया-बंती आदि का ध्यान रखता है। असल में नामघर में पूजा नहीं, बल्कि ईश्वर का नाम-कीर्तन होता है। ऐसे कीर्तन या नाम-प्रसंग में हर कोई भाग ले सकता है। कीर्तन के अंत में प्रसाद भी सामान्य रूप से उपलब्ध चीजें, जैसे,चना,केला, नारियल, आदि से तैयार होता है और सभी को बांटा जाता है। उन्होंने एक साम्य समाज की कल्पना की थी और नामघर के जरिये समाज में समानता लाने में सफल हुए थे।

शंकरदेव के समय में असम के साधारण जनता निरक्षर थे। इनको किताबी शिक्षा भले ही नहीं थी, पर ये अशिक्षित भी नहीं थे। क्योंकि नामघर में इकट्ठे होकर ग्रामीण जनता भागवत पुराण, कीर्तन, नामघोषा, आदि का श्रवण करते थे और नाम-कीर्तन भी करते थे। शास्त्रों के श्रवण से इनमें उल्लिखित मनोरम कथा और कहानियों से ये लोग परिचित होते थे। इन कहानियों के अंतराल निहित तात्विक और भक्तिमुलक शिक्षा के भी परिचित होते थे। नामघर में बार बार श्रवण-कीर्तन से जनता भी विनयी,सदाचारी और सुरुचिसंपन्न होने के अलावा शास्त्र के कथन में भी पारंगत हो गए थे। नामघर को इसलिए सामाजिक ज्ञान और नीति शिक्षा का केंद्र भी कहा जा सकता है।

शंकरदेव के अध्यात्म संस्कृति का प्रसार और असमीया नाट्य साहित्य की शुरुवात भी नामघर के जरिये ही हुई थी। पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटकों को नामघर में ही गाँव के जनताओं द्वारा अभिनय करवाके मंचस्थ किया जाता था। ऐसे नाटकों का प्रदर्शन कार्य को 'भाओना' कहा जाता है।'भाओना' असमीया संस्कृति के लिए शंकरदेव का अमूल्य वरदान था। नामघर को उन्होंने रंगमंच का रूप दिया था। नामघर में केवल नाटक ही नहीं, बल्कि बरगीत आदि उच्चांग संगीत,काव्य, नृत्य, वाद्य, सुर संचार, आदि सभी सुकुमार कलाओं का अभ्यास होता था। सत्रीया नृत्य भी शंकरदेव ने सृष्टि किया था जो आज भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का अन्यतम है। नृत्य-गीत,वाद्य, अभिनय आदि कलाओं के चर्चा और प्रदर्शन से ग्रामीण जनता आकृष्ट होते थे। इसके परिणामस्वरूप साधारण जनता को धर्म चर्चा के साथ ही मनोरंजन का साधन भी प्राप्त होता था और नामघर केंद्रिक सामाजिक चेतना अंकुरित हुआ।

इसके अलावा नामघर में ग्रामीण लोगों के बीच के विवाद, झगड़ा, अन्याय, अप्रीति,द्वेष, आदि का विचार कार्य भी होता था। गाँव के ही बुजुर्ग, अनुभवी और विज्ञ व्यक्ति समाज के सामने विचारक के भूमिका निभाते थे। ऐसे विचार कार्य में सजा बहुत लघु और प्रतीकात्मक होता था। सजा से ज्यादा प्रायश्चित और अनुताप से अंतरात्मा की शुद्धि पर महत्व दिया जाता था। इसी तरह नामघर ग्रामीण समाज के सामाजिक न्याय का भी केंद्र बन गया।

कोई भी शुभ कार्य से पहले गाँव के लोग नामघर में जाकर प्रणाम करते हैं और कार्यसिद्धि के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं। असम के जातीय उत्सव बिहु के पहले दिन नामघर में गाँव के लोग मिलकर बंती जलाकर ईश्वर से गाँव और गाँववालों का मंगल कामना करते हैं। घर घर में बिहु प्रदर्शन करने से पहले नामघर के आँगन में बिहु गाते हैं। धनलाभ होने पर उसका एक अंश नामघर के लिए लोग दान करते हैं।

निष्कर्ष:

शंकरदेव द्वारा स्थापित नामघर केवल धर्म चर्चा का केंद्र ही नहीं है, यह समग्र जाति के संस्कृति चर्चा का केंद्र भी है। यह असम के जातीय संग्रहालय भी है जहाँ ग्रामीण सामाजिक जीवन का हर पहलू जुड़ा हुआ है। नामघर में ही ग्रामीण जनताओं का बौद्धिक और सामाजिक विकास की शुरुवात होती है। गाँव के लोगों को सुकुमार कलाओं के चर्चा के लिए एक मंच मिलता है। ऐसे चर्चा से ही जातीय संस्कृति भी विकसित होती है। असम के प्राचीन कला-कृष्टि को नामघर के माध्यम से ही संरक्षण प्राप्त हुई है। नामघर के माध्यम से ही गाँव का समाज एकता के डोर से बंधा हुआ है और लोगों का बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक उत्तरण संभव हुआ है। गाँव में नामघर सामाजिक न्याय और गणतांत्रिक परंपरा का प्रतीक भी है। नामघर को छोड़कर असमीया ग्रामीण समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह वास्तव में ग्रामीण समाज का अभिन्न अंग है। हर गाँव में एक नामघर होता है। नामघर असमीया संस्कृति का ध्वजवाहक है। जब तक नामघर रहेगा, असमीया संस्कृति कायम रहेगी। कोई भी बाहरी शक्ति असमीया समाज का अपकार नहीं कर पाएगी।

संदर्भ सूची:

1. गोगोई, डॉ लीला,"असमर संस्कृति"
2. बरुआ, डॉ प्रहलाद कुमार, "चिंतार आभास"
3. शर्मा, डॉ सत्येन्द्र नाथ, "असमीया साहित्यर समीक्षात्मक इतिवृत्त"
4. चलिहा, भव प्रसाद, "शंकरी संस्कृतिर अध्ययन"